मुकदमा नम्बर 60/2020 निर्णय दिनांक: 19.7.2021

ONLINNE (GCMS) NO-2020/00121

गणेशाराम पुत्र रामेश्वरराम जाति भार्गव निवासी रिड़ी तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

—वादी—

बनाम

1. रामूराम पुत्र गोपाल राम जाति ब्राह्मण निवासी रिड़ी तहसील श्रीडुगरगढ़ जिला बीकानेर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़

—प्रतिवादी—

उपस्थितिः—

1. श्री राजूराम बाना अभिभाषक वादी।
2. श्री राजाराम नैण अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 1
3. पैरोकारराज स्टेट की तरफ से

**<u>वाद अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी संपठित धारा131,136 एल.आर एक्ट</u>**

यह वाद गणेशाराम ने जरिये अधिवक्ता के मार्फत पेश कर निवेदन किया है कि वादी केनाम से खातेदारी खेत खसरा नम्बर 1622/1518 तादादी 2.5300 हैक्टैयर एवं प्रतिवादी सं. 2 के नाम से खसरा नम्बर 1623/1518 तादादी 2.9700 हैक्टेयर रोही रिडी में स्थित है उक्त खेत मूल खेत खसरा नम्बर 1186 तादादी 21 बीघा 15 बिस्वा से बने है। वादी एवं वादी के भाई मालाराम ने सयुक्त रूप से उक्त खेत प्रतिवादी सं.2 से जरिये विकय पत्र दिनांक 16.01.2004 को खरीद किया था। विक्रय पत्र में वादी को खसरा नम्बर 1186 तादादी 21 बीघा 15 बिस्वा में से 10 बीघा दक्षिणी तरफ खरीद किया गया है। उसी अनुसार वादी का कब्जा काश्त कायम है। वर्तमान में उक्त खेत आपसी विभाजन से वादी के हिस्से पाती में आया हुआ है। वादी का कब्जा काश्त विक्रय पत्र के अनुसार दक्षिणी तरफ एवं प्रतिवादी का कब्जा काश्त उतरी तरफ चला आ रहा है। जबकि राजस्व रिकार्ड में वादी का खसरा नम्बर 1622/1518 तादादी 2.5300 हैक्टेयर की तरमीम विकय पत्र एवं मोंके कब्जे के विपरीत उतरी तरफ कर दिया एव प्रतिवादी का खसरा नम्बर 1623/1518 तादादी 2.9700 हैक्टेयर की तरमीम दक्षिणी तरफ कर दी। वादी ने प्रतिवादी सं. 2 से दक्षिणी तरफ की 10 बीघा भूमि खरीद की थी। खरीद के समय से वादी का खेत दक्षिणी तरफ एवं प्रतिवादी सं. 1 का खेत उतरी तरफ था जो आज भी लगातार उसी अनुसार मौके पर कायम है। वादगत खेतों के राजस्व नक्शा में राजस्व कर्मचारियों ने वादगत खेतों की तरमीम करते समय वादी के खेत की तरमीम उतरी तरफ एवं प्रतिवादी के खेत की तरमीम दक्षिणी तरफ कर दी जबकि वादी का कब्जा काश्त दक्षिणी तरफ एवं प्रतिवादी का कब्जा काश्त उतरी तरफ चला आ रहा है। यह है कि मौके पर वादी का खेत खसरा नम्बर 1622/1518 तादादी 2.5300 हैक्टेयर दक्षिणी तरफ एवं प्रतिवादी सं. 1 का खेत खसरा नम्बर 1623/1518 तादादी 2.9700 हैक्टेयर उतरी तरफ कायम है जबकि राजस्व नक्शा सीट में खसरा नम्बर 1622/1518 तादादी 2.5300 हैक्टेयर उतरी तरफ एवं खसरा नम्बर 1623/1518 तादादी 2.9700 हैक्टेयर दक्षिणी तरफ दर्ज है। यह है कि वादगत खेत राजस्व नक्शा सीट में मौके कब्जे के विपरीत दर्ज है जो [illegible] मौके जांच किये वादगत खेतों की तरमीम मौके के विपरीत कर दी जि[illegible] मौके कब्जे के अनुसार [illegible] राजस्व रिकार्ड की करवाने का अधिकारी है। यह है कि वा[illegible] मौके कब्जे के विपरीत नकले निकलवाई तो पता चला की वा[illegible] उतरी तरफ है एवं प्रतिवादी के खेत की तरमीम दक्षि[illegible] तरफ है जिसको वा[illegible] प्रतिवादी सं.2 से मौके कब्जे के अनुसार करवाने के लिए निवेदन किया तो प्रतिवादी सं. 2 ने रिकार्ड सही करने से इनकार कर दिया प्रतिवादी की इनकारी से वादी को वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:13:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (बीकानेर)

हेतुक हासिल है। यह है कि वादी के खरीद के समय वादगत खेत की सीमाओं की तरमीम नहीं थी। वादी ने दक्षिणी तरफ की 10 बीघा भूमि प्रतिवादी सं. 1 से खरीद की थी। जिससे दर्ज नामान्तरण सं 1613 दिनांक 20.01.2004 में दर्शाये आसे पासे के अनुसार एवं दक्षिणी दिशा लिखी होने एवं कब्जा दक्षिणी तरफ है जो मौके पर दक्षिणी तरफ है जिस पर वर्तमान में सीमाएं कायम है। जबकि नवीन राजस्व नक्शें में तरमीम मौके कब्जे के विपरीत है जिसको मोके कब्जे काश्त के अनुसार करवाना जरूरी हो गया है। यह है कि वादी के खेत के राजस्व नक्शे में तरमीम मौके कब्जे के विपरीत होने से वादी को अपूरणीय क्षति कारित हो रही है। यह कि वादी कि भूमि रोही रिड़ी में अवस्थित है जो श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है। यह दावा जानाकारी के अन्दर मियाद एवं पूर्ण न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है।

अतः वादी का दावा स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से आदेश फरमाने का निवेदन किया गया हैः–

(क) कि रोही रिड़ी के वादगत खेत खसरा नम्बर 1622/1518 तादादी 2.5300 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 1623/1518 तादादी 2.9700 हैक्टेयर की तरमीम मौके कब्जे के अनुसार खसरा नम्बर 1622/1518 तादादी 2.5300 हैक्टेयर को दक्षिणी तरफ एवं खसरा नम्बर 1623/1518 तादादी 2.9700 हैक्टेयर को उतरी तरफ राजस्व नक्शे में तरमीम घोषित की जावें।

(ख) कि प्रतिवादी सं 2 को आदेशित किया जावे कि रोही रिड़ी के वादगत खेत खसरा नम्बर 1622/1518 तादादी 2.5300 हैक्टेयर को दक्षिणी तरफ एवं खसरा नम्बर 1623/1518 तादादी 2.9700 हैक्टैयर को उतरी तरफ राजस्व नक्शें में तरमीम कर राजस्व रिकार्ड में कब्जा काश्त एवं मौके के अनुसार दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करे।

(ग) कि अन्य कोई न्यायाचित अनुतोष जो हितकर वादी हो अथवा दौराने दावा हितकर वादीगण हो जावे वह भी आज्ञाप्त फरमाया जावें।

वादी के उक्त वाद का दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता श्री राजाराम नैण उपस्थित आये और इकबालिया राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 की और से पैरोकारराज उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया। स्टेट को वादी का वाद स्वीकार करने में कोई आपति नही होने के कारण वादी का वाद स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

## आदेश

रोही ग्राम रीडी तहसील श्रीडूंगरगढ के खेत खसरा नम्बर 1622/1518 तादादी 2.5300 हैक्टेयर को दक्षिणी तरफ एवं खसरा नम्बर 1623/1518 तादादी 2.9700 हैक्टैयर को उतरी तरफ राजस्व नक्शें में तरमीम कर राजस्व रिकार्ड में कब्जा काश्त एवं मौके के अनुसार दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाने का आदेश तहसीलदार श्रीडूंगरगढ को दिये जाते है। तहसीलदार श्री डूंगरगढ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें। डिक्री जारी हो।

आदेश आज दिनांक 19.7.21 को मेरे द्वारा लिखित किया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हों। आदेश सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:13:16 IST
Reason: Self Attested

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)